

प्रेषक,

अनीता सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—२

लखनऊः दिनांक :०| दिसम्बर, 2010

विषयः—तहसील स्तर से भिन्न स्तर के कार्यालयों में नामित सहायक जन सूचना अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी के बजाय अन्य कोई नाम दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा ५(२) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमण्डल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरन्त उसे सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी या धारा १९ की उप धारा(१) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति को प्रेषित करने हेतु नामित करेगा।

ऐसा देखने में आया है कि तहसील स्तर (उप जिला स्तर) से भिन्न स्तर के कार्यालयों में विभागों द्वारा जन सूचना अधिकारी के साथ—साथ सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित कर दिये गये हैं, जबकि अधिनियम की धारा ५(२) के अनुसार तहसील स्तर पर ही सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने का प्राविधान है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके विभाग में तहसील स्तर से भिन्न स्तर के कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं तो उन्हें सहायक जन सूचना अधिकारी के बजाय अन्य कोई नाम अपने विवेक से दे दिया जाय ताकि अधिनियम की धारा ५(२) में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

भवदीया,

*S. Singh*  
(अनीता सिंह)  
राज्य सूचना आयोग की ओर से।

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2— सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना आयोग को आदेश संख्या— रा०सू०अ०— २२६ / ४३—२—२०१०, दिनांक १८ अक्टूबर, २०१० के सम्बन्ध में।